भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EE 513357

08 MAY

कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र

सचिव, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर, लखनऊ. प्रथम पक्ष ....श्री गुप्ता कैटर्स, प्रोपराइटर. देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 जगदीश नारायण गुप्ता, निवासी–155/15 क, महेश प्रसाद स्ट्रीट, मौलवीगंज लखनऊ.. द्वितीय पक्ष

1. प्रथम पक्ष कैन्टीन लगाने का स्थान नवयुग कन्या महाविद्यालय परिसर के अन्दर द्वितीय पक्ष को किराये पर दे रहा है।
2. महाविद्यालय द्वारा कैम्पस के अन्दर निर्मित कैन्टीन एवं ओपेन स्थान दिया जायेगा, उसमें द्वितीय पक्ष द्वारा कोई अन्य निर्माण नहीं किया जायेगा।
3. द्वितीय पक्ष कैन्टीन किसी अन्य को किराये पर नहीं देगा।
4. द्वितीय पक्ष द्वारा कैन्टीन में जो भी सामग्री रखी जायेगी उसकी मूल्य सूची कैन्टीन के बाहर लगायेगा एवं उसकी एक प्रति प्रथम पक्ष को उपलब्ध करायेगा।
5. खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं कैन्टीन सामग्री की सुरक्षा पर द्वितीय पक्ष पूर्णरूपेण जिम्मेदार होगा एवं कूड़े की सफाई व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं करनी होगी।
6. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में अनुशासन बनाये रखेगा तथा उसे प्रथम पक्ष द्वारा महाविद्यालय स्थान के अतिरिक्त केवल पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होगी।
7. कैण्टीन के किराये में दस प्रतिशत की वृद्धि कर वार्षिक किराया रू0 1,10,000.00(रूपये एक लाख दस हजार मात्र) निर्धारित किया गया है। जिसे द्वितीय पक्ष को देना होगा। द्वितीय पक्ष द्वारा पूर्व में हुए वार्तानुसार कैण्टीन में दो चिमनी लगवाई गई है, जिसकी कुल लागत मय फिटिंग रू0 44,000.00 (रूपये चौवालिस हजार मात्र) (बिल संलग्न) का समायोजन कैण्टीन के वार्षिक किराये से करके शेष धनराशि रू0 66,000.00 (1,10,000.00–44,000.00) (रूपये छियासठ हजार मात्र) को माह अगस्त 2018 से जनवरी 2019 तक रू0 10,000.00 प्रतिमाह एक समान किश्तों में तथा शेष रू0 6,000.00 को माह फरवरी 2019 में जमा किया जायेगा।

क्रमशः........02 पर

भारतीय गैर न्यायिक एक सौ रूपये के मूल्य के स्टैम्प पर संख्याः ई0ई0 513357 दिनांकः 18 जून, 2018 के क्रम संख्या 1430 पर कैन्टीन किरायेदारी हेतु अनुबन्ध पत्र के क्रमांक 07 से आगे... ....

8. बिजली व्यय हेतु महाविद्यालय द्वारा नया सब मीटर लगाया गया है। जिसे द्वितीय पक्ष द्वारा उपभोग किये गए यूनिट कामर्शियल दर के हिसाब से प्रतिमाह भुगतान करना होगा।
9. द्वितीय पक्ष कैन्टीन में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक स्थिति नहीं होने देगा या ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा, जिससे छात्राओं, महाविद्यालय स्टाफ को कोई परेशानी हो तथा यह कैन्टीन केवल महाविद्यालय के लिये है। अतः बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा। बाहरी वेण्डर का महाविद्यालय परिसर में प्रवेश पूर्णतया वर्जित होगा।
10. कैन्टीन में कार्यरत् कर्मियों की फोटो प्राचार्या द्वारा प्रमाणित होगी और उसे वह महाविद्यालय परिसर में अपने पास रखेगा। कैण्टीन में एक महिला कर्मी का रहना अनिवार्य रहेगा।
11. उपरोक्त किसी भी पैरा का उल्लंघन होने पर यह अनुबन्ध स्वतः निरस्त हो जायेगा। उक्त में किसी भी प्रकार का क्रियायेदारी विवाद होने पर प्रबन्ध समिति का निर्णय अन्तिम होगा। यह अनुबन्ध जुलाई, 2018 से जून, 2019 तक किया जा रहा है। एक वर्ष पूर्ण होने पर यह अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष,

सचिव,
नवयुग कन्या विद्यालय सोसाइटी,
लखनऊ

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष,

श्री गुप्ता कैटर्स
देवेन्द्र कुमार गुप्ता
M.NO-8423181600

उक्त अनुबन्ध पत्र मेरे समक्ष दोनो पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किये गये।

गवाह नं0–01
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।
विजय नारायण गुप्ता
155/15 के महेश प्रसाद स्ट्रीट
मौलवीगंज लखनऊ
M.No-9336184262

गवाह नं0–02
हस्ताक्षर पूरा पता सहित।
जीतेन्द्र कुमार
नवयुग कन्या महाविद्यालय
लखनऊ